

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (31 मार्च, 2013 को समाप्त

तिमाही (01.01.2013 से 31.03.2013 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	373
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	शून्य
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	12 [4 मामलों में मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई की गई है। 3 मामलों में सी आई सी ने आयोग के विचार को मान्य ठहराया है। एक मामले में, सी आई सी ने निदेश दिया है कि वे अपीलार्थी को कुछ दस्तावेजों की प्रति पुस्तुत करें। 8 मामले सी आई सी द्वारा प्रथम अपील के रूप में निपटान करने के लिए प्रतिप्रेषित किए गए थे।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ङ.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	14749/- रूपए
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को नियमित अंतरालों में ब्रीफिंग दी गई हैं।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

(आनंद कुमार पाठक)

अवर सचिव

एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी